

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
चम्पावत।

सेवा में,

साचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
वित्त अनुभाग-9,
देहरादून।

संख्या-3378/पंच-1 /2015-16 दिनांक: 16 जून, 2016

विषय- उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में प्रवृत्त सर्किल दरों को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-161/2016/XXVII (9)/स्टाम्प-80/2009 दिनांक 10 जून, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपदों में वर्तमान में प्रवृत्त सर्किल दरों की दिनांक 16.06.2016 से संशोधित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जनपद चम्पावत हेतु संशोधित मूल्यांकन सूची (सर्किल रेटों) की एक प्रति अवलोकनार्थ प्रेषित की जा रही है। जनपद में नई सर्किल दरें दिनांक 16.06.2016 से प्रभावी हो चुकी हैं। सर्किल रेटों की एक प्रति अवलोकनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्न-उक्तानुसार

भवदीय,

(डा0 अहमद इकबाल)
जिलाधिकारी चम्पावत।

प्रतिलिपि:- महानिरीक्षक, निवन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून को अवलोकनार्थ प्रेषित।

(डा0 अहमद इकबाल)
जिलाधिकारी चम्पावत।

हरसील लोहाघाट जनपद वसमावल के प्रमुख मार्गों पर स्थित क्षेत्र की न्यूनतम दरें

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / सड़क व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / सड़क व ग्रामों का नाम	क्षेत्र	सामान्य दर- (Base Rate)										
				प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की दर (प्रति हे० रू० में)	0.50 मीटर तक	50 मीटर से अधिक 200 मी० तक	200 मीटर से अधिक	0.50 मीटर तक	51 मीटर से अधिक 200 मी० तक	200 मीटर से अधिक	जिलों व आवासीय भवन में स्थित आवासीय परिसर	वाणिज्यिक भवन की दर (रु पर परिसर प्रति वर्ग मी० रू० में)	दुकान स्टॉरेंट वर्ग मी०	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1-	क	समस्त भूमि नगर पंचायत / ग्राम लोहाघाट	नगरीय	16820000	13460000	10760000	2102	1682	1346	9000	31500	26250	9000	5000

(रजि. कार्यालय)

अपर जिलाधिकारी
जनपद लोहाघाट

जिलाधिकारी
वसमावल

राहसील लोहाघाट जनपद बम्भावत के प्रमुख भागों पर स्थित क्षेत्र की न्यूनतम दरें

क्र०सं	प्रमुख भाग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख भाग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	क्षेत्र	सामान्य दर—(Base Rate)										
				प्रमुख भाग पर स्थित कृषि भूमि की दर (प्रति हे० रु० में)	प्रमुख भाग पर स्थित अर्द्ध भूमि यावसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्गमी० रु० में)	जिला व आवासीय भवन पर स्थित आवासीय परिवार प्रति वर्गमी० रु० में	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी० रु० में)	गैर वाणिज्यिक भवन की दर (प्रति वर्गमी० रु० में)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
क	पाटन पाटनी, राइकोट महर, कलीगांव, कोलीडेक, फर्नहिल	अर्धनगरीय	11200000	8960000	7160000	1400	1120	896	8400	26250	21000	8400	4725	
ख	गोसनी (खेतीखान), चौडीभाट, राइकोट कुंवर, खूनाबोरा, खूनामलक	अर्धनगरीय	4820000	3850000	3080000	603	482	385	8400	21000	15750	8400	4725	

(र.ल.ल.ल.) प्रशासक/रा.स.


उपनिर्वाहक
 -राजपवन,


उपर निताडिकारी
 -राजपवन,


जिलाधिकारी
 बम्भावत


हरदोली तहसील वडाघाट जनपद बम्हावत के प्रमुख एवं नये मार्गों व अन्य स्थानों पर स्थित ग्रामीण क्षेत्र की न्यूनतम दरें

क्र०सं	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	क्षेत्र	सामान्य दर - (Base Rate)														
			प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की दर (प्रति हे० रु० में)			प्रमुख मार्ग पर स्थित अर्द्ध भूमि या बसाविक की न्यूनतम दर (प्रति वर्गमी० रु० में)			जिले व आवासीय भवन से स्थित आवासीय पर एरिया प्रति वर्गमी० रु० में			वाणिज्यिक भवन की दर (रु० में)			अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
0	राजस्व ग्रामों की श्रेणी		0.50 मीटर तक	50 मीटर से अधिक 200 मी० तक	200 मीटर से अधिक	0.50 मीटर तक	51 मीटर से अधिक 200 मी० तक	200 मीटर से अधिक	एरिया प्रति वर्गमी० रु० में	दुकान रेस्टोरेंट वर्गमी० में	वाणिज्यिक भवन की दर (रु० में)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (पक्का / कर या)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1-	क	एवटमाउपट, मायावती, पक, चौडादेक, बन्देलादेक, पौश्रीदेक, मल्लादेक, फोली, मोयूरज, बनगाव, सिडियादुंगा ।	ग्रामीण	3670000	2940000	2350000	460	367	294	8400	21000	15750	8400	4725			
2-	ख	पुल्ला, मडलक, किमताली, भुमलाई, डैतली, इडाकोट, सीतलीनारा, कलवांडा, बुगाफर्याल, डुगशीफर्याल, शुवागारा, कुडवांडा, मानरतल्ला, मानरमल्ला, रोसाल, विण्डातिवारी, ख्यागाद, खैरकाण्डे ।	ग्रामीण	2160000	1730000	1380000	360	216	173	4725	13125	12600	4725	2520			
3-	ग	कोयाटीखालसा, मन्नेडा, बलाई, मंगोली, बडोली, सिरतोली (मंगोली), बटौली, ठाटा, सुदका, नाकोट, छतोली, ल्यूनधर, झलानदेव, खुतेली, सिरमोली, परध्यानीखेत, जनकाण्डे, सिरतोली (जनकाण्डे), मरोली, कानाकोट, घुमाली, परध्यानी, त्यारसी, बाटुलाबांज, बालभण्डारी, डुमडाई, धौन, शैल, काकडी, गुरेली (दुदपोखरा), बगौटी, बरकुनी, बिल्ल, जिन्डीसुरली, मडभार, बसान, खेती, रूदमाली, पोखरीबोरा, डुगाराबोरा, मटुवा, मटियानी, बिल्ल, स्यूर, खैरसासी, ठीक, पोखरीसीन, कोटला, डुगरालेटी, बाकू ।	ग्रामीण	730000	580000	470000	92	73	58	4725	12600	12075	4725	2520			

हरदोली तहसील

उप निबंधक

विलाधिकारी

(3)

जनपद चम्पावत अन्तर्गत तहसील चम्पावत के प्रमुख क्षेत्रों में स्थित भूमि की दरें।

(नगरीय क्षेत्र)

क्र० सं०	प्रमुख मार्गों / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	क्षेत्र	प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की दर (प्रति हे० रू० में)			प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषिक भूमि की व्यवसायिक की न्यूनम दर (प्रति वर्ग मीटर रू० में)			आवासीय व निजी आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट पर एरिया प्रतिवर्ग मीटर रू० में	वाणिज्यिक भवन की दर पर एरिया प्रतिवर्ग मीटर रू० में	गैर वाणिज्यिक भवन की दर प्रतिवर्ग मीटर रू० में	द्वितीय श्रेणी पक्का कच्चा		
				0-50 मीटर तक	51 से 200 मीटर तक	201 मीटर से अधिक	0-50 मीटर तक	51 से 200 मीटर तक	201 मीटर से अधिक						
1	क	चम्पावत, मांदली, तयारकुंणा, जूपपटवा	सेलाखोला, मल्ली मांदली	नगर पालिका	20970000	16776000	13420800	2621	2097	1678	9450	31500	26250	9450	5250
2	ख	जुगरासेठी खर्ककर्की	शक्तिपुर चौकी कुलेठी	नगर पालिका	14280000	11430000	9144000	1785	1428	1143	9450	31500	26250	9450	5250
3	क	डडाबिस्ट, चौडासेठी, एकनावडोला, सैदोलाबोरा, लटौली, दुदपोखरा फ़ोनर	मुडियानी, बाजरीकोट, राकडीफ़ुलारा, नादबोरा		14280000	11430000	9144000	1785	1428	1143	9450	31500	26250	9450	5250
4	ख				8700000	6960000	5560000	1087	870	696	8400	26250	21000	8400	4725

अर्द्धनगरीय ग्राम

(स्व. लख) 
दुशाह कानारा व


उपनिबंधक
चम्पावत।


जनपद विभागीय कारी
चम्पावत।

जिलाधिकारी,
चम्पावत।

ग्रामीण क्षेत्र

ख	जनई, कफलींग, बरदोली, जायड, शिलागटाक, पवत, नधान डन्डी, छीडापानी, चैकुनीबारा चैकुनीपाण्डेय, कभैला, काण्डा, लिस्ता, नगरगाँव, पत्सा,	6840000	5470000	4370000	855	684	547	8400	23100	21000	8400	4725
ख	मौनपोखरी, कठनौली, धोन, मौराडी पैलीमाफ्री, च्युराखर्क, सुयालखर्क, सिप्टी, पुनाब, कोयाटी, सैन्दर्क चौडाडुमखुरी, लमकनिया, पत्थरमौन, दुधौरी, हियूला, निनौडी, सिमियाउरी, कारी, बिरगोला, तामली, नाग, बचकोट, पोलप, हरम, ल्वाक्री, मच, दुबडजैनल,	3600000	2880000	2300000	450	360	288	6300	21000	15750	6300	3150
ग	भगीनामण्डारी, खर्क, चौधरीज्यूला, सनियाफलिया, लगगा खलकडिया, सनियानीलकडिया, सनियाफलिया लगगा खुनाडी, खर्कबगड, खुनाडी, बिलौटसौन, डिगडई, खलकडिया, खेतारउखेडा, नायल, रतनकडिया, गडकोट, पातल, कालूखान, गूठगडसाडी, बडपास, भैसौली बसान, लधौनटुकडा, बुगगाख्याली, रेडी, दुबचौडा, नरसिंहडाडा, बिरगुल, गौली, चौडाख्याली, सायली, बरियगगूठ, ध्यानमण्डारी, नायल, अमौडी, जौला, रयाला, काण्डा, दियूरी, रैसंग, खार, बोयल, गरुखाती, दूलाकोट, रमैला, साल्ती, नीड, कठाडमाफ्री, सिमल्टामाफ्री, बिल्डी, भनौली, क्वारसिंग, छतकोट, कौराला, गायल, जैगाँवजौली, सलकाण्डा, नन्दकुली, सीठा, दुगरा, पडगा, चंचलपुर उर्फचाचडी, मझेडा, बडौली	2520000	2000000	1610000	315	252	200	4725	13125	12600	4725	2520

(रख लहा)

उपशा. बा. ०

उप निबंधक

उप निबंधकारी

जिलाधिकारी

वम्भावत ।

(६)

घ	भूलागाँव, रायल, सिमाड, ओखलढुगा, दुनिया, मिरतोला, नदोला, अमकडिया, लफडा, विवाडिंग, नायडी, बरिस्टिया, भगीनाखेत, जमराडी, पाली, बैडा, देवली, पुरघुम अमौन, बजौन लडाबोरा, बगोडी, खटोलीतल्ली, खटौली मल्ली, पिनना, पघनई, वैलसा, रियासीबमनगाँव, तरकुली, बरकुल अमोडा, आमनी, हियाली, भण्डार, सोराई, हरतोला, रूईया, कुकडौनी, सतकुला, आमगाँठ, तल्लाकफल्ता, मल्लीकफल्ता, कैन्जूडा, आमखोला, गुरनागूठ, दूनी, पाली, शैकुर्वर, भण्डारबोरा, सौजबिष्ट, बसोटमाफी, बुगावैकुनी, मिरीपुनेठी, बकुण्डा, बकोडा, मोरटा, अकेशी, गवानी, मटकाण्डा, रसूतोला, खटगिरी, अमोडा	405000	382500	337500	45	42	37	11600	12600	12075	4725	2520
---	---	--------	--------	--------	----	----	----	-------	-------	-------	------	------

(स्वा.सहा.प)


पञ्चायत आ.सं.


उप निबंधक
-पञ्चायत


अपर जिलाधिकारी
-पञ्चायत


जिलाधिकारी,
पञ्चायत

(७)

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाराकोट

सामान्य दर-(Base Rate)

क्र०सं	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों का नाम	क्षेत्र	प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की दर (प्रति हे० रु० में)				न्यू प्रमुख मार्ग पर स्थित अर्द्धनगरीय क्षेत्र की न्यूनतम दर (प्रति वर्गमी० रु०)				जिल्ला व आवासीय भवन में स्थित	वाणिज्यिक भवन की दर (सु पर एरिया प्रति वर्ग रु० में)			नै वाणिज्यिक भवन की दर (प्रति वर्गमी० रु० में)
			0.50 मीटर तक	50 मीटर से अधिक 200 मी० तक	200 मीटर से अधिक	मीटर तक	51 मीटर से अधिक 200 मी० तक	200 मीटर से अधिक	एरिया प्रति वर्गमी० रु०	दुकान, रेस्टोरेण्ट वर्गमी० लाख रु० में		अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (पक्का/कच्चा)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1-	क	बाराकोट, फरतोला, काकड, बन्तोली, खोलासुनार, मल्ला बापरू, गुरनासंतोला, गल्लागांव, गुमौद, बौतडी, सिगादा, कैलाडी, भारतोली, च्यूरानी	अर्द्धनगरीय	4430000	3540000	2840000	555	443	354	6300	21000	15750	6300	3150	
2-	ख	शेधाव, कामाच्यूलता, बकरियाच्यूलता, पडसौसेरा, सुगरखाल, लुवाकाट, कालाकोट, तल्ला बापरू, भनार, बिसराडी, पठलती, बल्लो, चावडी, सुतेडा, चामीगुंठ, मऊ, मौलानी, लीदू, खेती, काकडी, चमरौली, छुलापै, रावलगांव, ईजडा, देवलीमाफी, सुरकोट, सूरी, डटीगांव, बसोडी, बोला, बैडाओड, डाराओड, बभेडा, डोवाभागा, नौमाना, सिरकुनी, टाक, द्यारतोली, खकोडा, हिवाडा, छन्दा, छीडा, बांस, लिलि, आगर, चौडासाह, नैमीमहर, गुरनानायाबाद, वखलज, पुनई, पम्दा, बैडाबैडवाल, तडीगांव, गोठकुडा, तडागा, त्याकी, पटनगांव, बुशोला, बयाली लगगा तल्ला बापरू, नदेडा, सिरतोली, बनकडिभा, शेधाडी, चूलगागांव ।	अर्द्धनगरीय	1200000	960000	760000	150	120	96	6300	21000	15750	6300	3150	

(रा. दर)

[Signature]
अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील

[Signature]
उप निबंधक

[Signature]
अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील

जिलाधिकारी
बाराकोट ।

तहसील पाटी जनपद चम्पावत के प्रमुख मार्गों में स्थित भूमि की न्यूनतम दरें
अर्द्धनगरीय क्षेत्र

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / राजस्व ग्रामों का नाम	क्षेत्र /	सामान्य दर-(Base Rate)						वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर परिया प्रतिवर्ग मी० ₹० में)	गैर वाणिज्यिक भवन की दर (प्रति वर्ग मी० ₹० में)			
				प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर (प्रति १० ₹० में)	0 से 50 मी० तक	50 मी० से 200 मी० तक	200 मी० से अधिक	न्यून प्रमुख मार्ग पर स्थित अर्द्ध नगरीय भूमि की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी० ₹० में)	0 से 50 मी० तक			50 मी० से 200 मी० तक	200 मी० से अधिक	
1-1	क	मुख्य सड़क से लगे हुए ग्राम-पाटी, जौलाडी, देवीधुरा	-	7000000	5600000	4480000	875	700	560	8000	22000	20000	8000	4500
2-2	ख	मुख्य सड़क से लगे हुए ग्राम-चौडापिता मारागाव	-	7000000	5600000	4480000	875	700	560	8000	22000	20000	8000	4500

(सि.लदा)

उत्तरांचल शासकीय पी.सी.

उप निरीक्षक,
चम्पावत

प्रभार जिलाधिकारी,
चम्पावत।

जिलाधिकारी,
चम्पावत।

तहसील पाटी जनपद बम्हावत के प्रमुख मार्गों में स्थित भूमि की न्यूनतम दरें ग्रामीण क्षेत्र

क्र०	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों का नाम	क्षेत्र /	सामान्य दर-(Base Rate)											
			प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर (प्रति 80 रु० में)			न्यूनतम मार्ग पर स्थित अर्द्ध भूमि व्यावसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्गमी० रु० में)			ग्रामपंचायत आवासीय भवनों में स्थित आवासीय दर (प्रति वर्गमी० रु० में)			वाणिज्यिक भवन की दर (प्रति वर्गमी० रु० में)		
			0 से 50 मी० तक	50 मी० से 200 मी० तक	200 मी० से अधिक	0 से 50 मी० तक	50 मी० से 200 मी० तक	200 मी० से अधिक	1	2	3	4	5	6
1	मुख्य सड़क से लगे हुए ग्राम-कडवालागांव, गरसाडी, दंशैज, भैसरख, कनवाड, वालिक, टाकरत्वाडी, खरसी, कुलियालागांव	-	4170000	3340000	2670000	522	417	334	6000	20000	15000	6000	3000	
2	सम्पर्क मोटर मार्ग से लगे हुए विविध ग्राम- भिंगराडा, पनियां, बोरावापड, मूलाकोट, मंगललेख, सिमलखेत	-	2280000	1820000	1460000	285	228	182	4500	12500	12000	4500	2400	
3	सम्पर्क मार्ग से लगे मुख्य ग्राम- तिमलागुंट, मथेलछाना, पीपलढींग, टकनापुरो, बनोली, रावलागांव, कुम्भ्याकुडा, खरनीगुंट, गंवाई, धौन किमस्वाड, कारीछाना, मण्टाण्डे, चौडागुंट, सिल्योडीगुंट, बनोलीलगाडुंगारा, अनपा, बमनवापड, किमाड, गगराड, गगर, सांगो, डुंगराकोट, कानीकोट, कोटना, इजट्टाडुंगारा, भामलगागा, मूलाकोट, चौडासोन, सुनुडुगारा, बालीगांव, पटनगांव, गोलनारसेरी, गीजूरसान, बस्वाडी, धिधारुकोट, शुवामोनी, चौडाकोट, मौनकाण्डा, धिलियां, डंसिया, निलौटी, सकदेना, पम्पतोला, नैनी, किम्वाडी, लडा, सौलमेल, भैरोली, जैरोली, झुडेली, बडेत, गुम, मछियाड, टाणतल्ला, टाणमल्ला, साल, रमक, वारसी, परेवा	-	1900000	1520000	1210000	237	190	152	4500	12500	12000	4500	2400	

प्रमाणित (11)

उप निदेशक, बम्हावत

(11)

निकासिकारी, बम्हावत।

सरकिल रेट ग्रामीण क्षेत्र, वहसील पाटी

क्र०सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	क्षेत्र	प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर (प्रति 0 हे० रू० में)	न्यु प्रमुख मार्ग पर स्थित अग्रकृषि व्यावसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्गमी० रू० में)	बहुमंजलीय आवासीय भवनों में स्थित आवासीय दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी० रू० में)	सामान्य दर		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (प्रति वर्ग मीटर रू० में)	द्वितीय श्रेणी पक्का / कच्चा
							वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी० रू० में)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4-	घ	सम्पर्क मार्ग से 01 कि०मी० से 03 कि०मी० दूरी तक के ग्राम- तपनीपाल कोटा, मौन, बुगाबिरौडा, बसौट, भेला, रुडेली, गहतोडा, पथरकोट, पखौटी, जमनटाक, जखोला, कफली, चम्बोला, बिरौली, मौलानाखख, रिखौली, जोगाबसान, पारस, कानीकोट लम्गाचौडा, तोली कठेडी, बुरुशखोला	-	715000	77	4500	12000	11500	4500	2400
5-	ड०	सम्पर्क मार्ग से 03 कि०मी० से 05 कि०मी० दूरी तक के ग्राम- सिधौली, कजीना, नायलकोट, अमौली, बिगराकोट, रीठा, दन्तोला, झलपुडा, जडियाकमद, छौडागांव, भुम्बाडी, कृण, हलखर्क, पुनौली, काण्डे, फुलाराकोट, गोलडाण्डा, तोला रैकुडी, सिरना, भौकडा, पोखरी, चलिथिया, मडगुडी, गडगुडी, चैराली, दुबडकमलेख, करौली, बालाताडी	-	495000	55	4500	12000	11500	4500	2400

नोट:- उक्त क्रमांक 4 व 5 में स्थित राजस्व ग्राम सम्पर्क मार्ग से 01 कि०मी० से अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण प्रमुख सम्पर्क मार्गों से 0 से 01 कि०मी० तक की दूरी की दरें नहीं प्रदर्शित की गयी हैं।

(हस्ताक्षर)

(Signature)
उपनिबंधक / उपप्रभारी

(Signature)
उपनिबंधक / उपप्रभारी

(Signature)
जिलाधिकारी, वग्गावत।

तहसील पूर्णागिरि (टनकपुर) जिला चम्पावत के प्रमुख मार्गों पर स्थित क्षेत्र की न्यूनतम दरें
नगरीय क्षेत्र मैदानी

क्र 0 सं०	प्रमुख मार्ग/मोहल्लों, राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मोहल्लों राजस्व ग्रामों का नाम	क्षेत्र	सामान्य दर—(Base Rate)										
				प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की दर(प्रति हे० रु० में)			प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषिक भूमि आवासीय/व्यवसायिक की न्यूनतम दर(प्रति वर्ग मी० रु० में)			आवासीय बहुमंजलीय भवन में स्थित आवासीय परप्लेट पर एरिया प्रति वर्ग मीटर	गाण्डिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर में रु० में)		अन्य गाण्डिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी पक्का
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	अ	टनकपुर नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत समस्त भूमि		0-50 मीटर तक	50 मी० से अधिक 200 मी० तक	200 मी० से अधिक	0-50 मीटर तक	50 मी० से अधिक 200 मी० तक	200 मी० से अधिक	11550	36750	31500	11550	6300
2	ब	बनबसा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत समस्त भूमि		22920000	18330000	14660000	2865	2292	1833	9450	31500	26250	9450	5250
3	स	टनकपुर, मोहनपुर, भजनपुर,		19260000	15410000	12320000	2408	1926	1541	9450	31500	26250	9450	5250
4	द	मनिहारगोठ		17920000	14340000	11470000	2240	1792	1434	9450	31500	26250	9450	5250

(रज. व. व. व. व.)

[Signature]
जिला नगरपालिका/राजस्व

[Signature]
उप निवासीय क्षेत्र

[Signature]
उप निवासीय क्षेत्र

तहसील पूणागिरि (दनकपुर) जिला चम्पावत के प्रमुख मार्गों पर स्थित क्षेत्र की न्यूनतम दरें
अर्द्धनगरीय मैदानी

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग/मोहल्लों, राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मोहल्लों राजस्व ग्रामों का नाम	क्षेत्र	सामान्य दर-(Base Rate)										
				प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की दर(प्रति हे० रू० में)	प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषिक भूमि आवासीय/व्यवसायिक की न्यूनतम दर(प्रति वर्ग मी० रू० में)	आवासीय बहुमंजलीय भवन में स्थित आवासीय पर सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर में	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर में रू० में)	दर (प्रति हे० रू० में)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठा न	गैर वाणिज्यिक भवन की दर प्रति वर्ग मी० रू० में	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का/कच्चा)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	अ	ज्ञानखेड़ा, नायकखेड़ा, विचर्ड, चन्दनी, पंचपकरिया, बमनपुरी	मैदानी	18260000	14600000	11680000	2282	1826	1460	9450	31500	26250	9450	5250
2	ब	गुदमी, देवीपुरा, फागपुर, सैलानीगोठ, आनन्दपुर		16800000	13440000	10750000	2100	1680	1344	9450	31500	26250	9450	5250

(सा. लदा.)
उपनिर्देशक/स.सि.


उपनिर्देशक,
पूणागिरि,
अर्द्धनगरीय,
चम्पावत।


जिलाधिकारी,
चम्पावत।


तहसील पूर्णागिरि (दनकपुर) जिला चम्पावत के प्रमुख मार्गों पर स्थित क्षेत्र की न्यूनतम दरें
ग्रामीण क्षेत्र (भैदानी)

क्र० स०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों, राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों राजस्व ग्रामों का नाम	क्षेत्र	सामान्य दर-(Base Rate)														
				प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की दर(प्रति हे० रू० में)			प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषिक भूमि आवासीय/व्यवसायि क की न्यूनतम दर(प्रति वर्ग मी० रू० में)		आवासीय बहु मंजलीय भवन में स्थित		वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर रू० में)		अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		प्रथम श्रेणी पक्का		द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	अ	गैँडाखाली नं०1 गैँडाखाली नं०3, बरमदेव, उचौलीगोट ध्यालखेड़ा बस्ठिया, देवरामपुर, बगदौराहंसी, बगदौराखास	ग्रामीण	15680000	12540000	10030000	1960	1568	1254	8400	26250	21000	8400	4725				
2	ब	गैँडाखाली नं०4, खेतखेड़ा, सुवागोट		15680000	12540000	10030000	1960	1568	1254	8400	26250	21000	8400	4725				
3	स	छीनीगोट, छीनीमल्ली, छीनीतल्ली, चैलागोट, कलौनिया, कटुवापाती, भैंसाझाला		15640000	12510000	10000000	1955	1564	1251	8400	26250	21000	8400	4725				

(स. नं०)

उपनिर्वाहक,
ग्रामीण क्षेत्र, दनकपुर।

उपनिर्वाहक,
ग्रामीण क्षेत्र, दनकपुर।

जिलाधिकारी,
चम्पावत।

तहसील पूर्णागिरि (टनकपुर) जिला वम्भावत के प्रमुख मार्गों पर स्थित क्षेत्र की न्यूनतम दरें
पर्वतीय ग्रामीण

क्र 0 सं 0	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों, राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों राजस्व ग्रामों का नाम	क्षेत्र	सामान्य दर-(Base Rate)											
				प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की दर(प्रति हे० रू० में)			प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषिक भूमि आवासीय/व्यवसायिक की न्यूनतम दर(प्रति वर्ग मी० रू० में)			आवासीय बहुमंजलीय भवन में स्थित आवासीय		वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर में रू० में)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर प्रति वर्ग मी० रू० में	
				0-50 मीटर तक	50 मी० से अधिक तक	200 मी० से अधिक तक	0-5 मीटर तक	50 मी० से अधिक तक	200 मी० से अधिक तक	प्लैट पर सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर रू० में	दुकार/रे स्टोरेट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी पक्का	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का/कटवा)	
1	अ	धुरा, चौड़ाकोट, कौलीकुलाड़ी	ग्रामीण	3820000	3050000	2450000	478	382	305	4500	13000	11500	4500	2400	
2	ब	गंगसीर, लोड्डा, निगाली, डांडा, भडियार, कलसुनिया, पोथ, पोथ का लगगाडांग, खुर्कलाईजर, कोटकेन्दी, खरगुंट, तालगुंट, पूर्णागिरि, सनमूडगुंट, कम्पून, उदाली, झालाकुडी, नौलापानी, तलियाबाँज, बयाला, बुडम, भडियाबांज, सुकनी, बकौरिया, डांडालोहारजूला, ककनई, खडायत, बुंगादुर्गा पीपल		2000000	1600000	1280000	250	200	160	4500	13000	11500	4500	2400	

(सा. ७६७)

[Signature]
उप निरीक्षक

[Signature]
उप निरीक्षक

[Signature]
उप निरीक्षक


तहसील पूर्णगिरि (टनकपुर) जिला चम्पावत के प्रमुख मार्गों पर स्थित क्षेत्र की न्यूनतम दरें
पर्वतीय अर्द्धनगरीय

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों, राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों का नाम	क्षेत्र	प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की दर (प्रति हे० मं)			प्रमुख मार्ग पर स्थित आवासीय / व्यावसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी० मं)			आवासीय बहुमंजलीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट पर सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर में ₹० मं)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर प्रति वर्ग मी० ₹० मं	
				0-50 मीटर तक	50 मी० से अधिक 200 मी० तक	200 मी० से अधिक	0-5 मीटर तक	50 मी० से अधिक 200 मी० तक	200 मी० से अधिक		दुकार / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी पक्का	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)
1	अ	जौल	अर्द्ध नगरीय	3740000	3000000	2400000	468	374	300	4500	14000	12000	4500	2400
2	ब	सूखीढांग, श्याला, बमनजौल, काण्डा		3740000	3000000	2400000	468	374	300	4500	14000	12000	4500	2400
3	स	सिलाड		2330000	1870000	1490000	291	233	187	12600	14000	12000	4500	2400

(स्ता.लदा.)

 मुख्य अधिकारी,
 चम्पावत।


 उप निरीक्षक,
 चम्पावत।


 जिलाधिकारी,
 चम्पावत।


 जिलाधिकारी,
 चम्पावत।

कृषि भूमि का मूल्यांकन किये जाने सम्बन्धी मानक

1- कृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 5 मी० से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित मानी जायेगी किन्तु यदि-

1. कृषि भूमि 18 मी० या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो आधार मूल्य 15 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा।
 2. कृषि भूमि 15 मी० से अधिक 18 मी० से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो 15 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा।
 3. कृषि भूमि 12 मी० या अधिक व 15 मी० से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो 10 प्रतिशत वृद्धि मूल्यांकन किया जायेगा।
 4. कृषि भूमि 5 मी० या अधिक व 12 मी० से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो 05 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा।
2. .05 हैक्टेयर (500 वर्ग मी०) से कम कृषि भूमि के अन्तरण पर उक्त श्रेणी में अकृषक भूमि हेतु श्रेणीकर निर्धारित दरें ही लागू की जायेंगी।

अकृषि भूमि का मूल्यांकन किये जाने सम्बन्धी मानक (Parameter)

अकृषि भूमि/सम्पत्ति हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 5 मी० से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित मानी जायेगी किन्तु यदि-

1. अकृषि भूमि 18 मी० या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो 15 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा।
2. अकृषि भूमि 15 मी० से अधिक हो 18 मी० से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो 15 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा।
3. अकृषि भूमि 12 मी० या अधिक व 15 मी० से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है 10 प्रतिशत वृद्धि मूल्यांकन किया जायेगा।
4. अकृषि भूमि 5 मी० या अधिक व 12 मी० से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है 05 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा।

परन्तु कृषि या अकृषि भूखण्डों पर विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक भूखण्डों का मूल्यांकन उपरोक्तानुसार वर्णित सामान्य दर के 2 गुने (200 प्रतिशत) होगा।

बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट के मूल्यांकन किये जाने सम्बन्धी मानक(Parameter)

1. बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रतिवर्गमीटर के आधार पर निर्धारित है। सुपर एरिया प्रतिवर्गमीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित किया गया है।

2. बहुमंजिली इमारत के परिसर हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मी० से कम चौड़े मार्ग पर स्थित बहुमंजिली इमारतों हेतु निर्धारित मानी जायेगी, किन्तु यदि-

1. बहुमंजिली इमारत जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 18 मी० या अधिक चौड़े मार्ग में स्थित है 15 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा।
2. बहुमंजिली इमारत जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 15 मी० या अधिक हो 18 मी० से कम चौड़े मार्ग पर स्थित हो 15 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा।
3. बहुमंजिली इमारत जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 12 मी० या अधिक हो 15 मी० से कम चौड़े मार्ग पर स्थित हो 10 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा।
4. बहुमंजिली इमारत जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 05 मी० या अधिक व 12 मी० से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उक्त दशा में सामान्य दर में आनुपातिक रूप से 05 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।

वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान का मूल्यांकन किये जाने सम्बन्धी मानक Parameter)

1- वाणिज्यिक भवन में स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्ग मी० के आधार पर निर्धारित की जायेगी, सुपर एरिया प्रति वर्ग मी० के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित किया गया है।

2. दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के परिसर हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मी० से कम चौड़े मार्ग पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान हेतु निर्धारित मानी जायेगी किन्तु यदि-

3. दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 18 मी० या अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित है, 15 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा।
4. दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 15 मी० या अधिक हो 18 मी० से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है, 15 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा।

(स. 021)

उपनिर्देशक
पञ्जाब

उपनिर्देशक
पञ्जाब

उपनिर्देशक
पञ्जाब

5. दुकान/वाणिज्यक प्रतिष्ठान जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 12 मी० या अधिक हो 15 मी० से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है, 10 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा।
6. दुकान/वाणिज्यक प्रतिष्ठान जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 05 मी० या अधिक हो 12 मी० से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है, 05 प्रतिशत की आनुपातिक रूप से वृद्धि की जायेगी।
3. भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों पर अथवा कार्नर पर स्थित हैं। तो श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में अनुपातिक रूप से प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।
4. दुकान/वाणिज्यक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यक प्रतिष्ठानों की हैं। दुकान/वाणिज्यक प्रतिष्ठान की स्थिति बेसमेन्ट में या प्रथम तल पर होने की दशा में द्वितीय तल व तृतीय तल पर स्थित होने की दशा में ऐसी वाणिज्यक इकाई के न्यूनतम मूल्य की गणना भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यक प्रतिष्ठानों हेतु निर्धारित दरों के अनुसार की जायेगी।
3. उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य औद्योगिक विकास निगम, सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं/निगमों द्वारा अंतरित परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप में अनुमन्य होगा। परन्तु उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के द्वारा निष्पादित किये गये लेखपत्रों के मूल्यांकन लेखपत्र के निष्पादन की तिथि के प्रभावी दरों से कम नहीं होगी।
1. किसी लिखित या लेखपत्र जिसके द्वारा किसी सम्पत्ति का अंतरण प्रघटित या सम्भावित हो तथा जिस पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता लेखपत्र में वर्णित सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर मूल्यानुसार हो उस लेखपत्र में सम्पत्ति के बाजार मूल्य को प्रभावित करने वाले समस्त तथ्यों या विवरण का उल्लेख पक्षकारों द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।
2. यदि कोई ग्राम/मोहल्ला दर सूची में अंकित होने से रह गया है तो समीपस्थ ग्राम/मोहल्ला की दरें लागू होंगी।
3. अवस्थिति नगरीय/अर्द्धनगरीय/ग्रामीण क्षेत्र।
4. गाटा संख्या, क्षेत्रफल (हैक्टे) राजस्व ग्राम व परगना, मोहल्ला एवं वार्ड का नाम।
5. राजस्व ग्राम/मोहल्ला की श्रेणी।
6. चौहदवी।
7. राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य राजमार्ग जिला मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित होने की दशा में सड़क का नाम और सड़क की चौड़ाई।
8. आबादी/आवासीय गतिविधियों के सम्पत्ति की दूरी मीटर में।
9. अन्तरण के अधीन सम्पत्ति के सम्बन्ध में पूर्व में किया गया विक्रय करने का करार यदि कोई हो तो विवरण।
10. अन्तरण के लिए प्रतिफल।
11. कलेक्टर द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर प्रति हैक्टेयर एवं न्यूनतम बाजार मूल्य।

(डा० अहमद इकबाल)
जिलाधिकारी चम्पावत।

कार्यालय जिलाधिकारी चम्पावत।

संख्या-3377/पॉच-01/2015-16 दिनांक: 16 जून, 2016

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, ज० मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन
2. सचिव, आवास/शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, वित्त अनुभाग-9 उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
4. महानिरीक्षक, निबन्धन उत्तराखण्ड देहरादून।
5. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
6. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद चम्पावत।
7. उप महानिरीक्षक, निबन्धन, कलक्ट्रेट परिसर नैनीताल।
8. समस्त तहसीलदार चम्पावत।
9. उप निबन्धक, चम्पावत।
10. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् चम्पावत/टनकपुर, नं.प०. लोहाघाट।
11. अधि०अभि० लो०नि०वि० चम्पावत/लोहाघाट।

(डा० अहमद इकबाल)
जिलाधिकारी चम्पावत।